

देहरादून: दिनांक ७ सितम्बर, 2022

312200

(1) संयुक्त सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
उत्तराखण्ड शासन अथवा इनसे अन्यून स्तर का अधिकारी (पदेन)

(1) संयुक्त सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
उत्तराखण्ड शासन अथवा इनसे अन्यून स्तर का अधिकारी (पदेन)

:उपाध्यक्ष

:सदस्य

:सदस्य

3-उक्त अधिनियम की धारा-35(3)(iii) में प्राविधानित महिला संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाली एक प्रख्यात महिला को नामित किये जाने सम्बन्धी अधिसूचना पृथक से निर्गत की जायेगी।

सचिव(प्रभारी)

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
2. निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी गढ़वाल/नैनीताल।
5. निजी सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, उत्तराखण्ड।
6. महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. समस्त जिला समुचित प्राधिकारी/जिला अधिकारी।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी गढ़वाल/नैनीताल।
10. समस्त नामित सदस्यगण।

11. अधीक्षक एवं निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की को अधिसूचना देकर
प्रकाशनार्थ
12. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. मीडिया सेंटर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(अमनदीप कोर)
अपर सचिव